

1.6.26

आज यह पत्रावली जारी करके वकील जयंत-पत्र  
पेश करते पर पेशी में ली गई, जारी उपस्थित, जारी  
की पहचान भी हुआ पन्द्र N. d. इ द्वारा की गई। जारी  
द्वारा वाद-पत्र विरुद्ध किया जा चुका है। इसलिए  
जयंत-पत्र 212 R.A. जाक शुन्य हो गया। जारी-  
पत्र जाक शुन्य हो जाने पर इसी स्तर पर कारिज  
किया जा रहा है तथा दिनांक 15-4-26 को जारी T. i.  
निरस्त की जाती है। पत्रावली नंबर ले कर होकर  
दरिबल दफ्तर हो।

आदेश से इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सुरतगढ़ (राज.)

वकील

पहचान करती

सुभाष चिन्ता 192

उवाज

GCMS

2026/228